भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्या 1500

08 दिसम्ब र, 2015 के लिए प्रश्ना

एनएफएसए का कार्यान्वयन

1500. श्री कमल नाथ:

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया:

श्री सदाशिव लोखंडे:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री एम.के. राघवन:

श्री जैदेव गल्ला:

श्री दुष्यंत चौटाला:

श्री अभिषेक बनर्जी:

श्री के. एन. रामचन्द्रन:

कर्नल सोनाराम चौधरी:

श्री संगमा अमरप्पा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के अनुरोध पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन की समय-सीमा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारणों सहित वे राज्य कौन-से हैं जहां अभी तक यह स्कीम कार्यान्वित नहीं हुई है और गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित खाद्यान्नों और निधियों की राज्य-वार राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने चूककर्ता राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति रोकने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एनएफएसए के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता सदस्यों को शामिल करने और इसके अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए नया सर्वेक्षण कराने का है और यदि हां, तो वर्तमान में स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या कुछ राज्यों ने पूर्व-एनएफएसए कोटा बनाए रखने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

....2/-

(क) और (ख): जी नहीं।

13 राज्यों/संघ राज्य: क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली , जम्मू-कश्मीर, गुजरात, केरल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) , 2013 के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई पूरी नहीं की है तथा इन राज्यों/संघ राज्यण क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत जारी है। वर्ष 2013-14, 2014-15 और चालू वर्ष (2015-16) के दौरान शेष 23 राज्यों/संघ राज्या क्षेत्रों के लिए उनके द्वारा की गई तैयारियों तथा लाभार्थियों की पहचान के संबंध में दी गई सूचना के आधार पर अधिनियम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पूर्ववर्ती टीपीडीएस के तहत खाद्यान्नों के आवंटन में शामिल सब्सिडी पर किया गया व्यय खाद्य सब्सिडी के लिए बजटीय आवंटन में से पूरा किया जाता है। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खाद्य सब्सिडी पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	**व्यषय(करोड़ रुपए में)**
2013-14	89,740.02
2014-15	1,13,171.16
2015-16 (02.12.2015 की स्थिवति के अनुसार)	1,03,528.67

(ग): जी नहीं।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्य श्रेणियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में , लगभग 49.67 करोड़ लाभार्थी रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम को कार्यान्विदत करने वाले 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कवर किए गए हैं।

(ड.): इस अधिनियम में पहले से ही प्रावधान है कि यदि किसी राज्य के लिए अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन इस अधिनियम के कार्यान्विधत होने के तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामान्य टीपीडीएस के तहत औसत वार्षिक उठान से कम है, तो आवंटन पूर्ववत रखा जाएगा।

*****

अनुबंध

लोकसभा में 08.12.2015 को उत्तहर दिए जाने वाले अतांराकित प्रश्नर संख्या3500 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों का आवंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित खाद्यान्न (हज़ार टन में)		
		2013-14	2014-15	2015-16*
1	बिहार	409.58	4914.90	5241.27
2	छत्तीसगढ़	322.72	1337.47	1384.06
3	दिल्ली	255.43	370.41	424.79
4	हरयाणा	317.50	795.00	795.00
5	हिमाचल प्रदेश	254.00	508.00	508.00
6	कर्नाटक	619.09	2542.66	2608.84
7	मध्य प्रदेश	234.54	3196.00	3362.68
8	महाराष्ट्र	750.27	4527.50	4605.19
9	पंजाब	229.06	870.12	870.12
10	राजस्थान	1395.79	2791.57	2791.57
11	चंडीगढ़	5.20	31.21	13.01
12	आंध्र प्रदेश	-	-	623.95
13	असम	-	-	554.02
14	गोवा	-	-	19.67
15	झारखंड	-	-	780.82
16	ओडिशा	-	-	688.68
17	तेलंगाना	-	-	669.00
18	त्रिपुरा	-	-	158.08
19	उत्तराखंड	-	-	251.50
20	पश्चिम बंगाल	-	-	813.44
21	दमन और दीव	-	-	2.49
22	लक्षद्वीप	-	-	3.08
23	पुद्दुचेरी	-	-	-
	कुल	4793.17	21884.83	27169.26

* खाद्यान्नों की वर्तमान मासिक आवंटन के अनुसार अनुमानित

टिप्पाणी: चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सितंबर, 2015 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति में कार्यान्वि त कर रहे हैं।

****